(c) whether instructions have also been issued to stop flow of funds from the rural areas to the urban areas through the banking system; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY:): (a) to (d) Reserve Bank of India (RBI) has advised banks to achieve a credit deposit (C:D) ratio of 60% in respect of their rural and semi-urban branches separately on an all India basis. Various measures taken by the Government/RBI and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to increase the flow of credit with the primary aim of development of Rural area in Uttar Pradesh are (i) setting up of a High Level Committee by RBI for improvement of Credit Deposit (C:D) ratio in Uttar Pradesh; (ii) Constituting a task force for development of eastern U.P.; (iii) Constituting separate core groups on C.D. Ratio at State and District levels for identifying new areas for credit; (iv) Self Help Groups in village/rural areas being identified for bringing them in the fold of institutional credit; (v) Prime Minister's Rozgar Yojana launched earlier in urban areas has been extended to rural areas also; and (vi) Separate Annual Credit Plan projections are made for rural and semi-urban areas.

गुजरात में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के बढ़ते घाटे

5248. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया गुजरात में घाटे में चल रही अपनी शाखाओं को बंद करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे उठाने वाली शाखाओं, विशेष रूप से सौराष्ट्र की ऐसी शाखाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1993-94 के लिए पुनर्पूंजी-करण निधियों का आबंटन करते समय, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि वे शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में 10 अनर्थक्षम/हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करेंगे और हानि वहन करने वाली 50 ग्रामीण/अर्धशहरी शाखाओं को सैटेलाइट कार्यालयों में परिवर्तित करेंगे। लेकिन, समीक्षा करने पर, बैंक ने हानि उठाने वाली केवल 43 ग्रामीण शाखाओं को सैटेलाइट कार्यालय में बदलने का निर्णय लिया है और अनर्थक्षम/हानि उठाने वाली शहरी/महाल नगरीय शाखाओं में से केवल 7 शाखाओं को वह बन्द करेगा, जिसमें से गुजरात राज्य में केवल एक शाखा स्थित है।

(घ) गुजरात के विशेष संदर्भ में (सौराष्ट्र के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है)। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की हानि उठाने वाली शाखाओं की स्थिति निम्नानुसार है:—

कुल शाखाओं की संख्या	हानि उठाने वाली कुल शाखाओं की संख्या	हानि की राशि
214	102	829.04 लाख रुपए

पूंजी निवेश के संबंध में नाबार्ड का नियम

5249. **श्री कैलाशनारायण सारंग:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपनी ऋण योग्य निधियों का क्रमशः कम से कम 25% और 40% अल्पकालीन ऋणों में निवेश करने का नियम बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह पूंजी 11% पर संग्रहित कर 9% ब्याज पर लगानी पड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस 2% घाटे की पूर्ति किस प्रकार होगी; और

(घ) क्या सरकार इस नियम में परिवर्तन करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1985-86 से न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता (एमआई) मानदंड शुरू किया था जिसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अपने निवल उधारयोग्य संसाधनों का क्रमशः न्यूनतम 25% और 40% अल्पावधिक कृषि ऋण में अंतर्ग्रस्त करना होता है और भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड से मौसमी कृषि परिचालनों के लिए केवल ऐसे ऋणों में उनकी अधिक अंतर्ग्रस्तता की राशि के बराबर ही पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहिए। यह मानदंड सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त सहायता पर निर्भरता कम करने और उनमें आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा संसाधन जुटाने की औसत लागत लगभग 11.5% बैठती है और नवम्बर, 1991 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को दिए गए अल्पावधिक कृषि ऋणों पर उनके द्वारा वसूली योग्य ब्याज की दर 9% है।

(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक, कुल मिलाकर 2.5% की कमी को 3% और 7% के बीच रियायती ब्याज दर पर नाबार्ड/राज्य सहकारी बैंकों से पुनर्वित्त प्राप्त करके पूरा करते हैं, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नाम बकाया ऋणों की तुलना में उनके द्वारा लिए गए पुनर्वित्त के अनुपात पर निर्भर करता है।

(घ) नाबार्ड ने न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता अनुशासन के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने और उपयुक्त संसाधनों का सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 1992 में एक अध्ययन समूह का गठन किया था। अध्ययन समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई-शाखाओं की स्थापना किया जाना

5250. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों पर नए कार्यालय/शाखाएं स्थापित करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से स्थानों को चुना गया है;

(घ) क्या नए कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि मांगी गई है/अधिगृहित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों में नए कार्यालय/शाखायें खोलने की इस समय उसकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) ये सवाल ही नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर

5251. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993 के पहले और पश्चात नाबार्ड द्वारा दिए गए अल्पकालीन ऋणों के आहरण के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित ब्याज दर क्या है;

(ख) कमजोर सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी समितियों पर ब्याज दर में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ब्याज दर में इस परिवर्तन को वापस लेने पर विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अल्पावधिक मौसमी कृषि परिचालन पुनर्वित्त पर राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) से उनके द्वारा प्रभारित ब्याज दर और उसका आधार निम्नलिखित हैं:

राज्य में सभी डीसीसीबी के संबंध में पीएसी के लिए बकाया औसत एसएओ ऋण के प्रतिशत के रूप में नाबार्ड से एससीबी के औसत उधार	एसएओ के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त पर प्रभारित ब्याज दर
37. से कम	3.0
37 और अधिक परन्तु 40 से कम . . .	3.5
40 और अधिक परन्तु 45 से कम . . .	4.0
45 और अधिक परन्तु 50 से कम . . .	4.5
50 और अधिक परन्तु 58 से कम . . .	5.0
58 और अधिक परन्तु 67 से कम . . .	5.5
67 और अधिक परन्तु 80 से कम . . .	6.0
80 और अधिक	6.5